न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय बम्बोरा)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
10/21	20.11.21	25.11.21

<u>उनवान</u>

1–किशनलाल पुत्र श्री करमचन्द जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट बम्बोरा तहसील किशनगढबास
2–जयप्रकाश पुत्र श्री करमचन्द जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान :– प्रार्थीगण :–

<u>बनाम</u>

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब (भू. अ.) किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान ।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 ले.रे.एक्ट :–

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम प0मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थनापत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है –यह है कि राजस्व ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास में हाल आराजी ख0न0 724 रकबा 0.2300 हे0, दर्ज खांता नं0 64 दर्ज हिस्सा जमाबंदी सं0 2071–74 के अनुसार स्थित ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर मिन प्रार्थीगण के पिता व दादा मृतक करमचन्द पुत्र फिरंगीरात जाट को भारत में विस्थापित होने पर राज्य सरकार द्वार सयुक्त परिवार की सयुंक्त कब्जे काश्त की भूमि रही है ओर आज भी है जिसमें पक्षकारान के पिता व दादा मृतक करमचन्द पुत्र फिरंगीराम जाट को अंकित है ओर सायलान के पिता व दादा के फौत हो जाने के बाद की ताहाल जमाबन्दीयात में सायलान के नाम का अंकन पिता दादा की भांति कौम जाट पंजाबी अंकन चला आ रहा है जो गलत है । साबिक जमाबन्दी संवत 2023 में सायलान के पिता व दादा की जाति जाट अंकित की हुई है जो उपरोक्त विवादित आराजी सहित शेष भूमि किता 13 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा व दीगर आराजी की बाबत अंकन दर्ज हो रहा है। नकल जमाबंदी संवत 2071 व 2023 सलग्न वाद पत्र है।

सायलान के पिता व दादा पूर्व में पाकिस्तान में विस्थापित थे जो भारत–पाकिस्तान विभाजन के दौरान बतौर शरणार्थी ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में विस्थापित हुए है। तथा साबिक जामाबन्दीयात में भी जाति जाट अंकित है, किन्तु पाकिस्तान प्रान्त की भांति पंजाबी जाट अंकित है, किन्तु पाकिस्तान प्रान्त की भांति पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करने से मोजूदा रिकार्ड राजस्व में सायलान की जाति जाट पंजाबी दादा करमचन्द को अंकित कर दिया तथा उसी के आधार पर सायलान की जाति भी जाति जाट पंजाबी अंकित है एवं ताहाल जमाबंदीयात सवत 2071–74 में भी चली आ रही है जबकि राज्य सरकार के परिपत्र भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 136(यथासंशोधित) एवं राजस्थान राज्य राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 369 के अन्तर्गत उक्त अभिलेखो में जाति संबंधित त्रुटि को सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस देकर एवं सुनकर दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परिपत्र की अनुपालना हेतु कार्यालय आदेश प्राप्त हो चुके है । जो कार्यालय एवं न्यायालय श्रीमान में उपलब्ध है जिसकी छाया प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।प्रार्थीयान के राशनकार्ड, पहचान पत्र बैक पास बुक आदि भी ग्राम बम्बोरा के नाम से जारी किये हुए है। जिन सभी में सायलान की वल्दीयत सही है।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

राजस्व रिकार्ड में जाट पंजाबी के स्थान पर जाति जाट अंकित कराया जावे। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.11.05 की पालना में दुरूस्ती की जावें। अतः प्रार्थनापत्र 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/सायलान स्वीकार फरमाया जाकर राज्य सरकार के नाटिफेकेशन भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 136 एवं राजस्थान राज्य राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 369 के अन्तर्गत उक्त अभिलेखो में जाति संबंधित त्रुटि को नोटिस देकर एवं सुनकर दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है उक्त परिपत्र की अनुपालना में समस्त राजस्व अधिकरियों को क्रमांक-न्याय/04/11989-12008 दिनांकित 29.11.05 के द्वारा परिपालना हेतु कार्यालय आदेश की पालना में एवं खतौनी अलोटमेन्ट के आधार पर ताहाल चौसाला जमाबन्दीयात तथा समस्त राजस्व रिकार्ड में सायलान की जाति जाट पंजाबी के स्थान पर जाति जाट अंकित कराया जाकर दुरुस्ती कराए जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी अनुपस्थित ओर ना ही जवाब प्रस्तुत किया । आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प में ग्राम पं0 मुख्यालय पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित दस्तावेजात हाल जमाबदी संवत 2071-74 एवं जमाबंदी संवत 2023 तथा कार्यालय आदेश दिनांक 29.11.05 श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय अलवर , आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की जाति जाट पंजाबी की जगह जाट किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अत आदेश है कि:-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है हाल आराजी ख0न0 724 रकबा 0.2300 हे0, दर्ज खाता नं0 64 दर्ज हिस्सा जमाबंदी सं0 2071-74 के अनुसार ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर मे प्रार्थीयान की जाति **जाट पंजाबी** को हजफ कर **जाट** अंकित किया जाने के आदेश दिये जाते है।तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)